रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940
No. 08] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSHA 17, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2019

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/27/2017-आर एंड आर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 63 के उपबंधों के अधीन ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देश दिनांक : 03 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (**भाग-I**, **खंड-1**) में संकल्प सं.23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा अधिसूचित किए गए और दिनांक: 15 जून, 2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (**भाग-I**, **खंड-1**) में संकल्प सं.23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा संशोधित किए गए।

2.0 दिनांक: 15 जून, 2018 को संशोधित, दिनांक: **03** अगस्त, 2017 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 9 का पैरा:

"9. बोली प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट समय सारणी

9.1 आरएफएस दस्तावेज जारी करने और बोली जमा कराने की अंतिम तारीख के बीच बोली प्रक्रिया की न्यूनतम अवधि 30 (तीस) दिन होगी। बोली प्रक्रिया के लिए संकेतात्मक समय सारणी संलग्नक-1 में दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में बोली प्रक्रिया 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि में पूरी होने की संभावना होती है।

9.2 खरीदार संलग्नक-1 में वर्णित समय सीमा का विस्तार कर सकते हैं और इसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"9. बोली प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट समय सारणी

9.1 आरएफएस दस्तावेज जारी करने और बोली जमा कराने की अंतिम तारीख के बीच बोली प्रक्रिया की न्यूनतम अवधि 22 (बाईस) दिन होगी। बोली प्रक्रिया के लिए संकेतात्मक समय सारणी संलग्नक**-1** में दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में बोली प्रक्रिया 110 **(**एक सौ दस**)** दिन की अवधि में पूरी होने की संभावना होती है।

9.2 खरीदार संलग्नक**-1** में वर्णित समय सीमा का विस्तार कर सकते हैं और इसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा।"

2.2 **बिंदु संख्या** 12 **का पैरा**:

"12. वित्तीय समाप्ति

सौर ऊर्जा जनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) (महीनों) में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयावधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, तो खरीदार ऐसा कर सकता

ऐसा न होने पर खरीदार पीबीजी का नकदीकरण तब तक नहीं करा सकता जब तक देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीददार को जमीन के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर जनरेटर के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल सोलर पावर जनरेटर के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीदार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जनरेटर पीपीए में निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी जुर्माना दिया गया होगा वह एससीडी की अवधि में सोलर पावर जनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"12. वित्तीय समाप्ति

सौर विद्युत जनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार, सोलर पार्क में लगायी जा रही परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 9 (नौ) महीनों में और सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयावधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, खरीदार ऐसा कर सकता

ऐसा न होने पर खरीदार पीबीजी का नकदीकरण तब तक नहीं करा सकता जब तक देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीदार को जमीन के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर जनरेटर के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल सोलर पावर जनरेटर के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीदार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया गया होगा वह एससीडी की अवधि में सोलर पावर जनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।"

2.3 बिंदु संख्या 14.3 का पैरा:

"14.3. चालू होने की समय सारणी

परियोजनाएं पीपीए के निष्पादन की तारीख से 21 (इक्कीस) महीनों की अवधि में चालू होंगी। तथापि, 250 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं अगर सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही हों तो पीपीए के निष्पादन की तारीख से 24 (चौबीस) महीनों की अवधि में चालू हो जानी तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अवधि इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, तो खरीदार ऐसा कर सकता चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जनरेटर पर पीपीए में उल्लिखिति प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जनरेटर के लिए खरीदार द्वारा निर्धारित भूमि के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्वनिर्धारित निष्पादन की तारीख भी तदनुसार आगे बढ़ जाएगी, बशर्ते परियोजना पूरी करने की

समयावधि खंड 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख के बीत जाने के बाद से शुरू हो रही 1 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"14.3. चालू होने की समय सारणी

सोलर पार्क में लगायी जा रही परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15 (पंद्रह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए और सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 18 (अठारह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अवधि इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, तो खरीदार ऐसा कर सकता है। चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जनरेटर पर पीपीए में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जनरेटर के लिए खरीदार द्वारा निर्धारित भूमि के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्वनिधारित निष्पादन की तारीख भी तदनुसार आगे बढ़ जाएगी, बशर्ते परियोजना पूरी करने की समयावधि खंड **3.2.1**(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख के बीत जाने के बाद से शुरू हो रही एक वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।"

2.4 संलग्नक-I:

"संलग्नक-I: बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्रम सं .	कार्य	शुरुआत से बीता समय
1.	आरएफएस परियोजना के लिए विशिष्ट विद्युत खरीद समझौतों के मसौदे, अन्य परियोजना समझौतों के मसौदे और पीएसए, अगर लागू हों तो की तारीख ,	शून्य तारीख
2.	बोली के बारे में स्पष्टीकरण, कान्फ्रेंस, साइट समेत परियोजना से संबंधित तमाम विशिष्ट विवरणों को साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटारूम खोलना (अगर खरीदार द्वारा कहा गया हो), और आरएफएस का संशोधन	**
3.	आरएफएस बोली भेजा जाना	30दिन
4.	बोलियों का मूल्यांकन और एलओआई जारी करना	120दिन
5.	पीपीए और पीएसए पर दस्तखत (अगर लागू हो)	150दिन

**आरएफएस दस्तावेज में किसी भी बदलाव की स्थिति में खरीदार इन दिशानिर्देशों के उपबंध 6.5 के अनुसार बोली लगाने वाले को अतिरिक्त समय देगा।

नोट : यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर खरीदार बोली लगाने की प्रक्रिया में किसी कार्य में विलंब की वजह से उसे पूरा करने के लिए किसी कार्य के लिए बोलीदाता को अतिरिक्त समय देता है तो इस अतिरिक्त समय को इन दिशानिर्देशों में किसी भी तरह का विचलन नहीं माना जाएगा।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"संलग्नक-I : बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्रम सं .	कार्य	शुरुआत से बीता समय
1.	आरएफएस परियोजना के लिए विशिष्ट विद्युत खरीद समझौतों के मसौदे, अन्य परियोजना समझौतों के मसौदे और पीएसए, अगर लागू हों तो की तारीख ,	शून्य तारीख

2.	बोली के बारे में स्पष्टीकरण, कान्फ्रेंस, साइट समेत परियोजना से संबंधित तमाम विशिष्ट विवरणों को साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटारूम खोलना (अगर खरीदार द्वारा कहा गया हो) और आरएफएस का संशोधन	**
3.	आरएफएस बोली भेजा जाना	22 दिन
4.	बोलियों का मूल्यांकन और एलओआई जारी करना	110 दिन
5.	पीपीए और पीएसए पर दस्तखत (अगर लागू हो)	140 दिन

**आरएफएस दस्तावेज में किसी भी बदलाव की स्थिति में खरीदार इन दिशानिर्देशों के उपबंध 6.5 के अनुसार बोली लगाने वाले को अतिरिक्त समय देगा।

नोट : यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर खरीदार बोली लगाने की प्रक्रिया में किसी कार्य में विलंब की वजह से उसे पूरा करने के लिए किसी कार्य के लिए बोलीदाता को अतिरिक्त समय देता है तो इस अतिरिक्त समय को इन दिशानिर्देशों में किसी भी तरह का विचलन नहीं माना जाएगा"

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd January, 2019

Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 23/27/2017-R&R.—1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 3rd August, 2017 and have been amended vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 15th June, 2018.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017, amended on 15th June 2018, namely:-

2.1 The Para at point No. 9:

"9. INDICATIVE TIME TABLE FOR BID PROCESS

9.1. In the bidding process, a minimum period of 30 (thirty) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated in Annexure-I. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 120 (one hundred twenty) days

9.2. The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-I and this shall not be construed as deviation to the Guidelines."

May be read as under:

"9. INDICATIVE TIME TABLE FOR BID PROCESS

9.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty two) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated in Annexure-I. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days

9.2. The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-I and this shall not be construed as deviation to the Guidelines."

2.2 The Para at point No. 12:

"12. Financial Closure

The Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement. However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

May be read as under:

"12. Financial Closure

Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 9 (nine) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects being set up in Solar park, and within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects being set up outside Solar park. However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

2.3 The Para at point No. 14.3:

"14.3. Commissioning Schedule:

The Projects shall be commissioned within a period of 21 (twenty one) months, from the date of execution of the PPA. However, Projects with a capacity of 250 MW and above, if being developed outside a Solar park, shall be commissioned within a period of 24 (twenty four) months from the date of execution of the PPA. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

May be read as under:

"14.3. Commissioning Schedule:

"The projects shall be commissioned, within a period of 15 (fifteen) months from the date of execution of the PPA, for projects being set up in Solar park, and within a period of 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA, for projects being set up outside Solar park. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

2.4 The Annexure-I:

"Annexure I – Time-Table for Bid Process

Sl. No.	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	Date of issue of RfS Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the PSA, if applicable.	Zero date
2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS	**
3.	RfS Bid submission	30 days
4.	Evaluation of bids and issue of LOI	120 days
5.	Signing of PPA and the PSA(if applicable).	150 days

** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 6.5 of these Guidelines.

Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines."

May be read as under:

"Annexure I – Time-Table for Bid Process

Sl. No.	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	Date of issue of RfS Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the PSA, if applicable.	Zero date
2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS	**
3.	RfS Bid submission	22 days
4.	Evaluation of bids and issue of LOI	110 days
5.	Signing of PPA and the PSA(if applicable).	140 days

** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 6.5 of these Guidelines.

Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines."

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.09 14:14:07 +05'30'